उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 69/2025/972/छप्पन-2025-38/1998
लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2025
कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन अनुरक्षण इकाई में मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत श्री हरजीत सिंह को शासनादेश संख्या-79/2023/852/छप्पन-2023-05/1996 दिनांक 31 जुलाई, 2023 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत रू0 2,95,491/- के नियत मासिक पारिश्रमिक पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेत्तर 02 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा दिनांक 01.08.2023 के पूर्वाहन में अपना योगदान प्रस्तुत किया गया। श्री हरजीत सिंह से नियत मासिक पारिश्रमिक एवं नियमानुसार अनुमन्य वार्षिक वृद्धि पर पूर्व सेवा शर्तों के साथ इनसे अनुबंध-पत्र दिनांक 01.08.2023 से 31.07.2025 तक की अवधि का निष्पादित कराया गया था। इस प्रकार दिनांक 31 जुलाई, 2025 को इनकी संविदा सेवा पूर्ण हो रही है।

2- शासनादेश संख्या- 52/2025/697/छप्पन-2025-17/2014 दिनांक 19 मई, 2025 के अनुपालन में निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या- 483/ना0उ0नि0/पारि०निर्धा0/2025 दिनांक 30 जून, 2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निदेशालय में कार्यरत मुख्य अभियंता का मासिक पारिश्रमिक रू0 4,25,000/- निर्धारित किया गया है, जिसमें शासनादेश की तिथि से एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने के उपरान्त ही पूर्व की भाँति अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्रदान की जा सकेगी।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अपने पत्र संख्या- 95/ना0उ0नि0/व्य0पत्रा0/2025 दिनांक 10 जुलाई, 2025 द्वारा श्री हरजीत सिंह, मुख्य अभियंता की संविदा सेवा पूर्व सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अग्रेत्तर 02 वर्ष के लिए अर्थात 01 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक के लिए बढ़ाए जाने के सम्बंध में यथोचित निर्णय लेते हुए आवश्यक शासनादेश शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के अधीन अनुरक्षण इकाई के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत श्री हरजीत सिंह की संविदा अवधि वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रू0 4,25,000/- एवं शासनादेश संख्या-52/2025/697/छप्पन-2025-17/2014 दिनांक 19 मई, 2025 के अनुसार दिनांक 01 अगस्त, 2025 से आगामी 02 वर्ष (अर्थात 31 जुलाई, 2027 तक) के लिए बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5- श्री हरजीत सिंह की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् जारी रहेंगी।

6- श्री हरजीत सिंह से संविदा सेवा वृद्धि के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध निष्पादित कर शासन को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराया जाएगा।

ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

2/...

1. **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2. **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** ीजजचरूश्धींदंकमीण्नचण्हवअण्पद **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 69/2025/972(1)/छप्पन-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि श्री हरजीत सिंह, मुख्य अभियन्ता से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध निष्पादित करके उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री हरजीत सिंह, मुख्य अभियन्ता**,** नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी)**,** उ0प्र0**,** प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1. **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2. **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** ीजजचरूध्धैंदंकमीण्नचण्हवअण्पद **से सत्यापित की जा सकती है ।**